बिदेश सिंह

बनाम

मधु सिंह और अन्य।

23 सितम्बर 2003

[वी.एन. खरे, सी.जे. और एस.बी. सिन्हा, जे.]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:

एस.एस. 81,82,86 और 117 एस.एस के साथ पढ़ें। 100 (1) (बी) और 100 (1) (डी) (iii) - चुनाव याचिका - सत्यापन में कमजोरी और प्रतिवादी पर उसकी प्रति की सेवा - चुनाव का प्रभाव - अवैधता के आधार पर निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका 258 मतपत्रों की अस्वीकृति और उनके निरीक्षण और जांच की मांग - चुनाव याचिका की हस्ताक्षरित और सत्यापित प्रति की तामिला न होने के कारण चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए लौटाए गए उम्मीदवार ने आवेदन दायर किया और विवंध के आधार पर उच्च न्यायालय ने उस आवेदन को चुनाव कराने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने स्वयं एक प्रमाण पत्र दिया था कि गिनती सही थी -अभिनिर्धारित किया जाता है कि चुनाव याचिका धारा 81 या धारा 82 या धारा की आवश्यकताओं में किसी दोष के कारण प्रभावित नहीं हुई।17 और इसे इन प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए खारिज नहीं किया जा सकता था- धारा 86 के संदर्भ में अधिकरण का क्षेत्राधिकार सीमित है और चुनाव याचिका को गैर-अनुपालन के लिए भी सीमा पर खारिज नहीं किया जा सकता है। 83-एस पर आधारित चुनाव याचिका के संबंध में दलील देने की आवश्यकता के बीच अंतर है। 100(1) (डी) (ii) और एस पर आधारित। 100(1)(बी)-एस पर आधारित चुनाव याचिका के मामले में। 100(1)(ए) (ii), चुनाव याचिकाकर्ता को मतपत्रों के निरीक्षण या जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए सारवानतथ्यों और विवरणों को निर्धारित करना आवश्यक है, जहां अधिकरण पाता है कि सारवानतथ्य ऐसी चुनाव याचिका में निर्धारित कमी है, तो चुनाव याचिकाकर्ता नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश XVII के तहत आवश्यक सारवान तथ्य और विवरण प्रदान करने का हकदार है- सवाल यह है कि क्या चुनाव याचिकाकर्ता को अपने में दलीलें उठाने से रोका गया था और रोका गया था। 258 मतपत्रों की वैधता या अन्यथा के संबंध में चुनाव याचिका एक ऐसा मामला था जिस पर केवल सुनवाई के दौरान ही विचार किया जा सकता था - चुनाव याचिका को धारा 100 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिकरण द्वारा अनुमति दी जा सकती थी या खारिज किया जा सकता था(1)(ई) अधिनियम में केवल पूरी तरह से सुनवाई के बाद और पार्टियों को अपने 1074 के समर्थन में स्वयं और अपने साक्षियों की जांच करने का अवसर दिया गया है।

बिदेश सिंह बनाम मधु सिंह 1075

संबंधित मामले - अधिकरण ने अधिनियम की धारा 86 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है-उच्च न्यायालय के आदेश-चुनाव संचालन नियम, 1961- आर.94-ए को रद्द कर दिया गया है।

डॉ. विजय लारमी साधो बनाम जगदीश, एआईआर (2001) एससी 600, पर भरोसा किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2002 की सिविल अपील संख्या 4402।

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के चुनाव याचिका संख्या वर्ष 2000 का 2 में निर्णय और आदेश दिनांक 02.05.2002 की

अपीलार्थी की ओर से अमितेश कुमार एवं लक्ष्मी रमण सिंह।

प्रतिवादियों की ओर से अमरेंद्र शरण, इरशाद अहमद और समीर अली खान।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया:

यह अपीलकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज करने वाले झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील है।

तत्कालीन बिहार विधान सभा के लिए एक सदस्य का चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा 318 पांकी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को बुलाया गया था। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी, 2000 निर्धारित की गई थी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच के लिए निर्धारित तिथि 25 जनवरी, 2000 थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतदान 12 फरवरी, 2000 को होना था। परिणामस्वरूप वोटों की गिनती में, प्रतिवादी नंबर 1 को 17095 वैध वोट मिलने पर निर्वाचित घोषित किया गया था, जबकि अपीलकर्ता को 17058 वैध वोट हासिल करने के लिए दिखाया गया था। अपीलकर्ता ने यहां प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका दायर की, जिसमें लौटे उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करने की प्रार्थना की गई और एक और राहत दी गई कि निरीक्षण और जांच के बाद उन्हें 318 पनकी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया जा सकता है। बूथ संख्या 35 के संबंध में 258 में से अवैध रूप से खारिज किए गए मतपत्र बनाए गए थे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने चुनाव याचिका में एक लिखित बयान दाखिल करने के बजाय, धारा 81, 83 और के तहत एक आवेदन दायर किया।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (बाद में इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया) के 86(1) और चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम 94ए (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) स्वपठितआदेश 7 नियम 1, एवं आदेश 14 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 2 में चुनाव याचिका को पोषणीयता के आधार पर खारिज करने की बात कही गई है। उक्त आवेदन में, पहले प्रतिवादी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क दिया कि शपथ आयुक्त की मुहर के साथ चुनाव याचिका की हस्ताक्षरित प्रति उसे नहीं दी गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने स्वीकार कर लिया है कि बूथ संख्या 35 के संबंध में उपरोक्त 258 मतपत्रों को तीसरे दौर की गिनती में खारिज कर दिया गया था, उसे अपने चुनाव पर सवाल उठाने से विवंधित किया जाता है। अपीलकर्ता ने इसका उत्तर दाखिल किया। अधिकरण ने उक्त आवेदन पर विचार किया और आक्षेपित निर्णय के आधार पर यह माना कि चुनाव याचिका में सत्यापन में किसी भी कमजोरी के कारण या प्रतिवादी पर चुनाव याचिका की एक प्रति की तामिला के मामले में चुनाव याचिका प्रभावित नहीं होती है। शपथ आयुक्त की मुहर के साथ, लेकिन उक्त आवेदन को, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार

पर अनुमति देने के लिए आगे बढ़े कि अपीलकर्ता ने स्वयं इस आशय का प्रमाण पत्र दिया था कि बूथ संख्या 35 में 258 मतपत्रों की अस्वीकृति के संबंध में तीसरे दौर की गिनती जारी है। नियमों के नियम 38(1) और नियम 56(2)(एच) का उल्लंघन करते हुए सही था। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के आधार पर माना कि एक बार नियम 56(2) के खंड (एच) में निर्दिष्ट त्रुटि हो जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी के पास उक्त मतपत्रों को अस्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

मामले को देखते हुए चुनाव याचिका खारिज कर दी गई। यह उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण के उक्त फैसले के खिलाफ है, अपीलकर्ता हमारे समक्ष अपील में है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमने पाया कि चुनाव याचिका को शुरुआत में ही खारिज करने में अधिकरण का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण था।

अधिनियम की धारा 86 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय उस चुनाव याचिका को खारिज कर देगा जो धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है। यह विवादित नहीं है कि याचिका आवश्यकताओं में किसी दोष के कारण प्रभावित नहीं हुई धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 और, इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने पर चुनाव याचिका खारिज नहीं की जा सकती थी। अधिकरण द्वारा जो इप्सित है में कहा गया है कि चुनाव याचिका में सारवानतथ्यों का अभाव है और चुनाव याचिकाकर्ता ने स्वयं निर्वाचन ऑफिसर को प्रमाण पत्र दिया है कि बूथ संख्या 35 की तीसरे दौर की गिनती सही थी और, इसलिए, उसने ऐसी किसी भी आपत्ति को उठाने से खुद को वंचित कर लिया है।

धारा 86 के संदर्भ में अधिकरण का क्षेत्राधिकार सीमित है। चुनाव याचिका, यह तुच्छ है, अधिनियम की धारा 83 का अनुपालन न करने पर भी प्रारंभिक सीमा पर खारिज नहीं की जा सकती है। डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ बनाम में।जगदीश, एआईआर (2001) एससी 600, इस न्यायालय ने विधि को निम्नलिखित शब्दों में बताया है:

"एक चुनाव याचिका अधिनियम की धारा 86(1) के तहत खारिज की जा सकती है, केवल चुनाव याचिका अधिनियम की धारा 8एल या धारा 82 या धारा 107 के प्रावधानों का पालन नहीं करती है।" भ्रष्ट आचरण के आरोपों के समर्थन में चुनाव याचिका के साथ निर्धारित प्रारूप में एक शपथपत्रदाखिल करने की आवश्यकता अधिनियम की धारा 83(1) में निहित है, इस प्रकार धारा के तहत एक चुनाव याचिका खारिज नहीं की जा सकती है अधिनियम की धारा 86, अधिनियम की धारा 83(1) या इसके प्रावधानों के कथित गैर-अनुपालन के लिए, कथित रूप से *दोषपूर्ण' शपथपत्र से क्या अन्य परिणाम हो सकते हैं, इसका निर्णय एक चुनाव याचिका के विचारण में किया जायेगा, लेकिन अधिनियम की धारा 86(1) के तहत ऐसे मामले को आकर्षित नहीं किया जा सकता है।"

यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रतिवादी संख्या 1 ने तर्क दिया कि चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप अस्पष्ट थे जो लिखित बयान दाखिल करने के मामले में उनके लिए पूर्वाग्रह का कारण बनेंगे। भले ही ऐसा कोई मामला बनाया गया हो, अधिकरण को धारा 100(1)(डी)(iii) के आधार पर चुनाव

याचिका औरलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धारा 100 (1)(बी) के आधार पर चुनाव याचिका के संबंध में दलील देने की आवश्यकता के बीच अंतर को याद रखना चाहिए। धारा 100(1)(डी)(iii)पर आधारित चुनाव याचिका के मामले में, चुनाव याचिकाकर्ता को मतपत्र के निरीक्षण या जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए सारवानतथ्यों और विवरणों को निर्धारित करना आवश्यक है। जहां अधिकरण को पता चलता है कि ऐसी चुनाव याचिका में निर्धारित सारवान तथ्यों की कमी है, तो चुनाव याचिकाकर्तासिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVII के तहत आवश्यक सारवानतथ्य और विवरण प्रदान करने का हकदार है।

प्रश्न कि क्या चुनाव याचिकाकर्ता को 258 मतपत्रों की वैधता या अन्यथा के संबंध में उसकी चुनाव याचिका में विवाद उठाने से रोक दिया गया था, हमारी सुविचारित राय में, यह एक ऐसा मामला था जिस पर केवल विचारण के दौरान ही विचार किया जा सकता था। अधिनियम की धारा 100(1ई) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों को स्वयं और/या अपने गवाहों की जांच करने का अवसर देने पर ही चुनाव याचिका को न्यायाधिकरण द्वारा उनके संबंधित मामलों का समर्थन की अनुमति दी जा सकती थी या खारिज किया जा सकता था। ऐसी कार्यवाही में, पक्ष इस विवाद के संबंध में पीठासीन अधिकारी या अन्य सरकारी साक्षियों की भी जांच कर सकते हैं कि क्या उक्त 258 मतपत्र वैध या अवैध थे।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकरण ने अधिनियम की धारा 86 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, हमारे पास प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उसके आवेदन में उठाए गए प्रश्नों को उसके निर्धारण के लिए उचित प्रक्रम पर खुला छोड़कर, आक्षेपित आदेश को रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अपील उपरोक्त शर्तों के अनुसार अनुज्ञात की जाती है।

आर.पी.अपील को अनुज्ञात किया गया

<u>यह अनुवाद किरण शंकर मिश्रा, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।</u>